

विषय सूची

इस अंक में...

प्रश्नपत्र = 1

● विश्व में भुखमरी के स्तर में लगातार तीसरे वर्ष वृद्धि : संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट	1
● 2030 तक बैंकॉक का 40% हिस्सा डूब सकता है: विश्व बैंक रिपोर्ट	1
● सतत ग्रामीण विकास का सशक्त माध्यम बनती महिला सरपंच	2
● देश के 91 प्रमुख जलाशयों के जलस्तर में 2 प्रतिशत की वृद्धि	5
● बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी द्वारा जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम आरंभ	6
● खिड़की मस्जिद के परिसर से मध्यकालीन 254 सिक्कों की खोज	7
● जम्मू-कश्मीर में कमजोर ग्रामीण परिवारों को प्रोत्साहन	7
● 'इ-सहज' पोर्टल	8
● प्लास्टिक मुक्त होगा सीतामढ़ी	8
● गोरखपुर के मीन गांवों को स्वच्छता पुरस्कार	9
● पद्म पुरस्कार-2019 के लिए 21,000 से अधिक नामांकन प्राप्त हुए	10
● मानचित्र परीक्षण उत्तर	11

प्रश्नपत्र = 2

● विधि आयोग ने 'परिवार कानून में सुधार' हेतु परामर्श पत्र जारी किया	17
● गंगा विश्व की सबसे संकटग्रस्त नदियों में से एक: डब्ल्यूडब्ल्यूएफ रिपोर्ट	17
● जनगणना 2021 में पहली बार देश में कुल ओबीसी जनसंख्या की गिनती का प्रस्ताव	18
● भारत ने सिंधु जलसंधि पर पाकिस्तान की आपत्तियों को खारिज किया	19
● अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने 3 नये जिलों के गठन हेतु विधेयक पारित किया	20
● राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की साइप्रस यात्रा	20
● सात नये आईआईएम स्थापित करने हेतु मंजूरी	21
● आधार न होने पर एडमिशन से इनकार नहीं कर सकते स्कूल: यूआईडीएआई	22
● सरकार ने कारीगरों की मजदूरी 36 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने को मंजूरी प्रदान की	22
● शिक्षक दिवस 5 सितंबर को देश भर में मनाया गया	23
● प्रत्यायन पर चौथे विश्व सम्मेलन का आयोजन	24
● सरकार ने सेरिडॉन सहित 328 एफडीसी दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई	25
● भारत का पहला डॉग पार्क हैदराबाद में आरम्भ हुआ	26
● संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में भारत को 130वां स्थान	27
● पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक तंगी से उबरने हेतु मिनी बजट पेश किया	28
● केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किया	28
● जापान ने दक्षिण चीन सागर में पहली बार पनडुब्बी अभ्यास किया	30

● अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया गया	31
● विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट-2018 जारी की	32
● तीसरी कक्षा तक के केवल 25% बच्चे कहानियाँ समझने में सक्षम: मिलिंडा-गेट्स रिपोर्ट	32
● भारत में 2005-2016 के बीच 27 करोड़ लोग हुए गरीबी से बाहर: संयुक्त राष्ट्र	33
● पदोन्नति में आरक्षण पर नागराज मामले के फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं	34
● जस्टिस रंजन गोगोई ने सुप्रीम कोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला	35
● पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के कार्यकाल का मूल्यांकन	38
● तीसरा हिंद महासागर सम्मेलन	39
● आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई)	39
● लखवाड़ परियोजना हेतु समझौता	40
● रेल के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और कोरिया के बीच समझौता	42
● एनएमसीजी ने गंगा नदी की सफाई के लिये 150 करोड़ की परियोजनाएं मंजूर की	43
● डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय मेधा पुरस्कार-2017	44
● सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कार्यक्रम (एमपीलैड) की वार्षिक समीक्षा	45
● आकांक्षी जिलों पर केंद्रित सुशासन पर क्षेत्रीय सम्मेलन का भोपाल में आयोजन	46
● भारत और अमेरिका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास-एक पूर्वावलोकन	47
● स्वास्थ्य मंत्रालय ने एचआईवी/एड्स अधिनियम, 2017 लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की	47
● जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों का राष्ट्रीय सम्मेलन	48
● राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम में टेक्नोलॉजी समाधान उपलब्ध कराने के लिए डेल और टाटा ट्रस्ट से साझेदारी	49
● चौथा बिम्सटेक सम्मेलन का नेपाल में समापन	50
● धारा - 497 अब अपराध नहीं : सर्वोच्च न्यायालय	51
● धारा-377 अब मौलिक अधिकार	53

प्रश्नपत्र = 3

● ब्लू इकोनॉमी	55
● परमाफ्रॉस्ट : गलन एवं जलवायु परिवर्तन	60
● रोजगार की कुंजी	63
● वाराणसी में अलकनंदा क्रूज सेवा आरंभ	67
● ओम्बुड्समैन नियुक्त करना अनिवार्य:आरबीआई	67
● भारतीय रेल और गेल इंडिया के बीच समझौता	68
● इसरो ने गगनयान मिशन के लिए स्वदेशी स्पेस सूट तैयार किया	68
● अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2018 विश्वभर में मनाया गया	69
● 'मोबिलाइज योर सिटी'	71
● बिमल जालान मुख्य आर्थिक सलाहकार चयन समिति के अध्यक्ष घोषित	71
● प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान	72
● भारत में 21.40 लाख लोग एड्स से पीड़ित : नाको रिपोर्ट	73
● विद्युत मंत्रालय द्वारा चिलर में ऊर्जा खपत कम करने हेतु महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का शुभारंभ	74
● विश्व आर्थिक मंच ने 'द फ्यूचर ऑफ जॉब्स' नामक रिपोर्ट जारी की	74

● सेबी ने शेयर बायबैक नियमों को संशोधित किया	75
● जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु कार्बन टैक्स जरूरी: विश्व बैंक	76
● दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट विश्व का 16वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट : रिपोर्ट	77
● तमिलनाडु सरकार द्वारा नीलकुरिंजी पौधे के संरक्षण की घोषणा	77
● भारत की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 7.8% रहेगी: फिच रिपोर्ट	78
● रणनीतिक साझेदारी (एसपी) मॉडल	79
● जी-20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रीस्तरीय बैठक	79
● डीएसी की मंजूरी	80
● प्रौद्योगिकी के युग में निजता की सुरक्षा आवश्यक	81
● भारत 2025 तक निर्यात दोगुना करेगा	81
● कंपनी कानून-2013	82
● इसरो 2022 तक अंतरिक्ष में पहला भारतीय भेजेगा	83
● ई-वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों का उद्योग भवन में उद्घाटन किया गया	85
● भारत व विश्व बैंक के मध्य ऊर्जा क्षेत्र में समझौता	85
● भारतीय डाक भुगतान बैंक की स्थापना	86
● भारत और मोरक्को के बीच हवाई सेवाओं के समझौते को मंत्रिमंडल की मंजूरी	87
● बीमा नियामक क्षेत्र में भारत और अमरीका के बीच समझौता	87
● 'स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन -2019'	90
● आईसीएआर ने दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया	91
● राष्ट्रीय आर्इडीडी रणनीति जारी	91
● अटल रैंकिंग (एआरआईआईए) लांच	92
● नवीनतम जीडीपी अनुमान भारत में आर्थिक विकास की गति तेज	92
● जुलाई, 2018 में आठ कोर उद्योगों की वृद्धि दर 6.6% रही	93
● 2018-19 की प्रथम तिमाही (अप्रैल-जून) के लिए जीडीपी के अनुमान	94
● सुनामी मॉक अभ्यास आईओ वेव18 संपन्न	94
● एलसीए तेजस का हवा में ईंधन भरने का परीक्षण सफल	95
● ज़िला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में वान-कनेक्टिविटी	96
● किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी पर सब्सिडी	96
● बाह्य अंतरिक्ष में अन्वेषण हेतु भारत और दक्षिण अफ्रीका के बाच समझौता	97
● ट्रॉम्बे में अप्सरा-यू रिएक्टर का परिचालन प्रारंभ	97
● नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (एनआईडी) एक्ट, 2014 में संशोधन	98
● क्षमता विकास योजना को 2017-18 से 2019-20 तक जारी रखने को मंजूरी	98
● 2018-19 हेतु इथनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम	98
● भारतीय रेल के ब्रॉड गेज मार्गों का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण	99
● ब्रिक्स इंटरबैंक कोऑपरेशन	101
● उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई दर 3.69%	101
● काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की दूसरी यूनिट प्रारंभ	102
● री-इनवेस्ट एक्सपो	102
● भारत सतत विकास फ्रेमवर्क (2018-2022) पर हस्ताक्षर किए	103
● बायो शील्ड के रूप में मैंग्रोव	104

प्रश्नपत्र - 4

● नागरिक चार्टर	106
● सूचना का अधिकार	120

प्रारम्भिक परीक्षा विशेष (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी)

● ओलिव रिडले कछुए	129
● हक्की हब्बा	129
● हिरण के सींग	129
● जिंजीबर स्यूटोस्क्वेरसम	129
● केरल का चिकित्सकीय पौधा	129
● इरावदी डॉल्फिन	130
● फूड लैग्यूम्स रिसर्च प्लैटफॉर्म	130
● जीलैंडिया : एक नया महाद्वीप	130
● विश्व की पहली ट्रांजिट रेटिंग प्रणाली	130
● रिप ज्वार 131	
● टू-पिट समाधान	131
● न्यूट्रीनो प्रोजेक्ट एवं ग्रीन नोड	131
● नदियों को जीवित व्यक्ति का दर्जा	131
● बारहसिंगा का संरक्षण	132
● गंगा डॉल्फिन की गणना	132
● अर्थ ओवर	132
● शहतूश व्यापार	132
● वृक्ष पर रहने वाले केकड़े की प्रजाति	132
● राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का आदेश	132
● रिवर पाइरेसी	133
● निशुल्क सोलर रूफटॉप्स	133
● अमोनिया हॉटस्पॉट्स	133
● ओरांग टाइगर रिजर्व	133
● संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन	133
● देश का पहला जैव विविधता विरासत स्थल	134
● भारत की जैव विविधता में वृद्धि	134
● गोवा में नए जैव विविधता क्षेत्र	134
● ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रणाली	134
● घायल वन्यजीवों हेतु बचाव स्थल	134
● ग्रीन ग्रोथ इंडिकेटर, 2017	135
● जलवायु परिवर्तन	135

● ऊर्जा संरक्षण भवन कोड 2017	135
● आईपीसीसी की चौथी रिपोर्ट (मुख्य बिंदु)	135
● जलवायु परिवर्तन पर आईपीसीसी की पाँचवीं रिपोर्ट	135
● बस्टर्ड प्रजनन केन्द्र	136
● ब्लैक नेकड क्रैन	136
● भारतीय स्टार कछुए	136
● सुंदरवन के मैंग्रोव वन	137
● मैंग्रोव फॉर फ्यूचर	137
● 15वीं वन रिपोर्ट 2017	137
● ज्वलनशील बर्फ	137
● अमूर फाल्कन	138
● एक सींग वाले गैंडों के लिए विशेष सुरक्षा बल	138
● एयरोसोल एवं भारतीय मॉनसून	139
● छठी सामूहिक विलोपन	139
● जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूची	140
● सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन	140
● पेट्रोलियम-कोक एवं फर्नेस तेल	141
● इलाहाबाद में कछुआ अभयारण्य	141
● अरब सागर के तापमान में वृद्धि	142
● पॉलीमेटेलिक नोड्यूल का अन्वेषण	142
● कार्बोफिक्स परियोजना	143
● बायोमास ऊर्जा	143
● बायोईंधन के रूप में खोई (बगैस)	144
● हाइड्रोजन ऊर्जा	145
● ईंधन सेल तकनीक	146
● फ्लू गैस विगंधकन सिस्टम	147
● अटापका पक्षी अभयारण्य	147
● म्यांमार का पहला बायोस्फियर रिजर्व	148
● 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु' कार्यक्रम	148
● भारत का प्रथम 'कीट संग्रहालय'	148
● तिलोमेरा नागालैण्ड प्रजाति	149
● विश्व वन्यजीव दिवस	149
● जलवायु सुरक्षित गांव	149
● हरित कौशल विकास कार्यक्रम	149
● वैश्विक शहरी वायु प्रदूषण पर रिपोर्ट	150
● इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान	151
● जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति-2018	151

यूपीएससी मुख्य परीक्षा 2018 में पूछे गए प्रश्न

प्रश्नपत्र-1



विश्व में भुखमरी के स्तर में लगातार तीसरे वर्ष वृद्धि : संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट

समाचारों में क्यों?

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्वभर में भुखमरी की समस्या में लगातार तीसरे वर्ष भी वृद्धि हुई है।
- संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अफ्रीका भूख की समस्या से सबसे अधिक ग्रस्त है, इसके बाद एशिया और अमेरिका का नंबर आता है।
- संयुक्त राष्ट्र ने रिपोर्ट द्वारा चेतावनी दी कि वर्ष 2030 तक भूख की समस्या को खत्म करने के वैश्विक लक्ष्य को बाधित करते हुए संघर्ष एवं जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप भूख की समस्या में वृद्धि हुई है।



संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुख्य बिंदु :

- संयुक्त राष्ट्र खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति की वैश्विक रिपोर्ट 2018 के अनुसार, लगभग पूरे अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में भूख की समस्या बढ़ रही है तथा 2017 में नौ में से एक व्यक्ति या 821 मिलियन लोग भूख से ग्रस्त रहे।
- रिपोर्ट में कहा गया कि यह लगातार तीसरा वर्ष है जब एक दशक तक गिरावट के बाद वैश्विक भूख के स्तर में वृद्धि हुई है।
- तापमान में बढ़ती विविधता; तीव्र, अनियमित वर्षा और बदलते मौसम आदि ने खाद्य की उपलब्धता और गुणवत्ता को प्रभावित किया है।
- संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि खाद्य पदार्थों की कमी के कारण अनुमानतः 2.3 मिलियन लोगों ने जून माह में वेनेजुएला छोड़ दिया था।

भारत में भुखमरी की स्थिति और गंभीर हुई, 119 देशों की लिस्ट में देश 100वें स्थान पर

- भारत में पांच साल से कम उम्र के हर पांचवें बच्चे का वजन कम है और इस मोर्चे पर वह उत्तर कोरिया, बांग्लादेश और इराक तक से पीछे है।
- भारत में भुखमरी की स्थिति गंभीर रूप लेती जा रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) के ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआई) में भारत 100वें स्थान पर पहुंच गया है।
- पिछले साल विकासशील देशों के इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग 97वें स्थान पर थी, लेकिन एक साल में यह तीन पायदान और गिर गई है।
- ताजा रैंकिंग के मुताबिक भूखे देशों के मामले में भारत उत्तर कोरिया, बांग्लादेश यहां तक कि इराक से भी पीछे है। हालांकि उसकी स्थिति पाकिस्तान से बेहतर है।
- आईएफपीआरआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत के बच्चों में भुखमरी की समस्या सबसे ज्यादा कुपोषण की वजह से है और यहां सामाजिक क्षेत्र के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता दिखाने की जरूरत है।
- एक रिपोर्ट के अनुसार, (भुखमरी के मामले में) भारत एशिया में तीसरे स्थान पर है। केवल अफगानिस्तान और पाकिस्तान उससे पीछे हैं।
- इस साल के सूचकांक में भारत का स्कोर 31.4 है जो कि भुखमरी की 'गंभीर' श्रेणी में आता है और इसने दक्षिण एशिया को (भूख से लड़ने की) सबसे खराब श्रेणी में ला दिया है जहां वह अफ्रीका के सहारा इलाके से थोड़ा ही पीछे है।
- जीएचआई में भारत के पड़ोसी देशों में से अधिकतर की रैंकिंग उससे बेहतर है।
- **नोट :** इनमें चीन सबसे आगे है जो 29वें स्थान पर है, उसके बाद नेपाल 72वें, म्यांमार 77वें, श्रीलंका 84वें, बांग्लादेश 88वें, पाकिस्तान 106 और अफगानिस्तान 107वें स्थान पर हैं। उत्तर कोरिया 93वें और इराक 78वें स्थान पर हैं। इस बार जीएचआई रैंकिंग के चार मानदंड हैं—अल्पपोषण, बच्चों की मृत्यु दर, वृद्धि में रुकावट।
- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में पांच साल से कम उम्र के हर पांचवें बच्चे का वजन उसकी लंबाई के हिसाब से बहुत कम है।

प्रश्नपत्र - 2

रक्सौल-काठमांडू रेलवे लाइन हेतु समझौता ज्ञापन

समाचारों में क्यों?

- भारत और नेपाल ने 31 अगस्त 2018 को दोनों देशों के बीच रणनीतिक महत्व के रक्सौल-काठमांडू रेलमार्ग को विकसित करने के लिए सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह रेलमार्ग बिहार के रक्सौल शहर को नेपाल की राजधानी काठमांडू से जोड़ेगा।
- भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेपाली प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली से द्विपक्षीय मुद्रों पर विचार-विमर्श करने के बाद इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये।
- हालांकि, इस रेल लाइन के लिए अप्रैल 2018 में ही करार किया गया था। तब नेपाल के पीएम भारत दौरे पर आए थे।



- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली से द्विपक्षीय मुलाकात की।
- दोनों नेताओं ने आर्थिक और व्यापार संबंधों को और मजबूत बनाने समेत द्विपक्षीय रिश्तों से जुड़ी सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा भी की।
- **इस समझौते का महत्व :** इस रेलवे लाइन से लोगों को आवाजाही में आसानी होगी और बड़ी मात्रा में वस्तुओं के परिवहन के लिए भी यह रेल लाइन उपयोगी सिद्ध होगी।
- इस रेलवे लाइन क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों व विकास को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्य तथ्य :

- यह समझौता रक्सौल (भारत) और काठमांडू (नेपाल) के

बीच ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के आरंभिक इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण के लिए किया गया है।

- इस रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण कार्य भारत की कंपनी कॉकण रेल कार्पोरेशन करेगी।
- इसके बाद प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग और क्रियान्वयन योजना इत्यादि का प्रबंध किया जायेगा।
- इसके अलावा इन दो देशों के बीच तीन और रेलवे परियोजनाओं पर भी विचार किया जा रहा है।
- यह परियोजनाएं नौतनवा-भैरहवा, न्यू जलपाईगुड़ी-काकरभित्ता और नेपालगंज रोड-नेपालगंज हैं।
- रक्सौल-काठमांडू रेलमार्ग से दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ेगा और थोक में सामान की आवाजाही सरल हो सकेगी।

पृष्ठभूमि :

- यह समझौता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दो साल पहले ही चीन ने तिब्बत से नेपाल के बीच रेलमार्ग स्थापित करने पर सहमति जतायी थी।
- इसके अलावा चीन ने नेपाल के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए तीन हाईवे का निर्माण करने का निर्णय किया है, इनका निर्माण वर्ष 2020 तक कर लिया जायेगा।

भारत-नेपाल सम्बन्ध :

- भारत और नेपाल के संबंध अनादि काल से हैं। दोनों पड़ोसी हैं, दोनों की धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषायी एवं ऐतिहासिक स्थिति में बहुत अधिक समानता है।
- नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री के. पी. ओली नें प्रधानमंत्री पद संभालकर सबसे पहले भारत का दौरा किया। उनके इस दौरे से दोनों देशों के बीच सम्बन्ध और भी मजबूत हुए हैं।
- भारत-नेपाल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1950 की मैत्री और शांति संधि के साथ हुई थी।
- यही संधि दोनों देशों के बीच व्यापारिक गठजोड़ को भी बढ़ाती रही।
- भारत-नेपाल के मध्य मधुर एवं सहयोगात्मक संबंध रहे हैं। नेपाल के राजनीतिक संक्रमण काल के दौरान भारत ने वृहद स्तर पर इसकी सहायता की।
- मोदी सरकार ने पिछले तीन साल में नेपाल सहित अन्य सभी सार्क देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किये हैं।

विधि आयोग ने 'परिवार कानून में सुधार' हेतु परामर्श पत्र जारी किया

मुद्दा क्या है?

- विधि आयोग ने 31 अगस्त 2018 को सुझाव दिया कि महिलाओं और पुरुषों के लिए शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र समान होनी चाहिए।
- विधि आयोग ने कहा कि वयस्कों के बीच शादी की अलग अलग उम्र की व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए।
- भारतीय कानून के तहत, शादी के लिए महिलाओं की उम्र 18 वर्ष और पुरुषों की शादी की कानूनी उम्र 21 वर्ष निर्धारित है।
- 'परिवार कानून में सुधार' पर अपने परामर्श पत्र में विधि आयोग ने कहा, "यदि व्यस्क होने की सार्वभौमिक उम्र को मान्यता है जो सभी नागरिकों को अपनी सरकारें चुनने का अधिकार देती है तो निश्चित रूप से, उन्हें अपना जीवनसाथी चुनने में सक्षम समझा जाना चाहिए।"

विधि आयोग का परामर्श :

- वयस्क होने की उम्र (18 साल) को भारतीय बालिग अधिनियम 1875 के तहत महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए शादी की कानूनी उम्र के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए।
- पत्र में कहा गया, "पति और पत्नी के लिए उम्र में अंतर का कोई कानूनी आधार नहीं है, क्योंकि शादी कर रहे दोनों लोग हर तरह से बराबर हैं और उनकी साझेदारी बराबर वालों के बीच वाली होनी चाहिए।"
- सांस्कृतिक विविधता से इस हद तक समझौता नहीं किया जा सकता है कि समानता के प्रति हमारा आग्रह क्षेत्रीय अखंडता के लिये ही खतरा बन जाए।
- किसी मजबूत लोकतंत्र में अंतर नहीं होना चाहिए 'धर्मनिरपेक्षता' शब्द का अर्थ केवल तभी चरितार्थ होता है जब यह किसी भी प्रकार के अंतर की अभिव्यक्ति को आश्वस्त करता है।
- आयोग ने नजरिया साझा किया कि महिलाओं और पुरुषों की विवाह उम्र में अंतर बनाए रखना इस दकियानूसी बात में योगदान देता है कि पत्नियां अपने पति से छोटी होनी चाहिए।

समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग के विचार

- विधि आयोग ने पत्र में कहा कि इस समय समान नागरिक संहिता की 'न तो जरूरत है और ना ही वांछित'।
- समान नागरिक संहिता पर पूर्ण रिपोर्ट देने की बजाए विधि आयोग ने परामर्श पत्र को तरजीह दी क्योंकि समग्र रिपोर्ट पेश करने के लिहाज से उसके पास समय का अभाव था।
- परामर्श पत्र में कहा गया कि समान नागरिक संहिता एक

व्यापक मुद्दा है और उसके संभावित नतीजे अभी भारत में परखे नहीं गए हैं। इसलिये दो वर्षों के दौरान किए गए विस्तृत शोध और तमाम परिचर्चाओं के बाद आयोग ने भारत में पारिवारिक कानून में सुधार को लेकर यह परामर्श पत्र प्रस्तुत किया है।"

- आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी एस चौहान ने पूर्व में कहा था कि समान संहिता की अनुशंसा करने के बजाए, आयोग पर्सनल लॉ में 'चरणबद्ध' तरीके से बदलाव की अनुशंसा कर सकता है।
- समान नागरिक संहिता समस्या का समाधान नहीं है बल्कि सभी व्यक्तिगत कानूनी प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध करने की आवश्यकता है ताकि उनके पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी तथ्य प्रकाश में आ सकें और संविधान के मौलिक अधिकारों पर इनके नकारात्मक प्रभाव का परीक्षण किया जा सके।

गंगा विश्व की सबसे संकटग्रस्त नदियों में से एक: डब्ल्यूडब्ल्यूएफ रिपोर्ट

मुद्दा क्या है?

- वर्ल्ड वाइड फंड फोर नेचर (WWF) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार गंगा विश्व की सबसे अधिक संकटग्रस्त नदियों में से एक है।




- रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि लगभग सभी दूसरी भारतीय नदियों की तरह गंगा में लगातार पहले बाढ़ और फिर सूखे की स्थिति पैदा हो रही है।

प्रश्नपत्र - 3

ब्लू इकोनॉमी

संदर्भ :

- विश्व बैंक के अनुसार 'ब्लू इकोनॉमी' आर्थिक विकास, उन्नत आजीविका एवं रोजगार तथा महासागरीय पारितंत्र स्वास्थ्य के लिए महासागरीय संसाधनों का सतत उपयोग है। वैसे ब्लू इकोनॉमी की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा उपलब्ध नहीं है।
- अलग-अलग संगठनों ने इसे अलग-अलग तरीके से परिभाषित किया है। ब्लू इकोनॉमी समुद्री पारितंत्र को प्राकृतिक पूंजी के रूप में मान्यता प्रदान करता है और इसे इसी अनुरूप संरक्षित व निरंतर रखता है।



- भारतीय संदर्भ में ब्लू इकोनॉमी को 'नेशनल मैरिटाइम फाउंडेशन' ने परिभाषित किया है।
- इसके मुताबिक 'समुद्र आधारित आर्थिक विकास जो उन्नत मानवीय रहन-सहन एवं सामाजिक समानता की ओर ले जाता है, साथ ही पर्यावरणीय जोखिमों एवं पारितंत्रीय संकटों को महत्वपूर्ण रूप से कम करता है।'

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- ब्लू इकोनॉमी की अवधारणाओं को वर्ष 2010 में गुंटर पॉली की पुस्तक 'द ब्लू इकोनॉमी : 10 इयर्स, 100 इनोवेशंस, 100 मिलियन जॉब्स' से प्राथमिकता मिली।

- इसके पश्चात् रियो+20 सम्मेलन (2012) में संयुक्त राष्ट्र संघ के कई देशों ने सागरों एवं समुद्रों की जैव विविधता को बनाए रखने, उनका संरक्षण करने तथा वर्तमान व भावी पीढ़ियों के सतत् उपयोग के लिए इसके स्वास्थ्य, उत्पादकता एवं सहायता की सुरक्षा एवं पुनर्बहाली के लिए शपथ लिया।
- इसी सम्मेलन के पश्चात् ब्लू इकोनॉमी पहल को वैश्विक स्तर पर जोर-शोर से उठाया जाने लगा। ब्लू इकोनॉमी का ग्रीन इकोनॉमी से तुलना की जा सकती है।
- ग्रीन इकोनॉमी या हरित अर्थव्यवस्था मूलतः प्राकृतिक संसाधनों की सततता पर बल देता है।
- ब्लू इकोनॉमी में 'ब्लू' सागर/महासागर का संसूचक है। दरअसल ब्लू इकोनॉमी केवल आर्थिक विकास का तंत्र नहीं है वरन् यह सागरीय संसाधनों की सततता के साथ उसके स्वास्थ्य को बेहतर हालत में बनाए रखने की जरूरत पर बल देता है।
- इस तरह ग्रीन इकोनॉमी के समान ब्लू इकोनॉमी मॉडल पर्यावरणीय खतरों एवं पारितंत्रीय संकटों को महत्वपूर्ण रूप से कम करते हुए मानव की रहन-सहन एवं सामाजिक समानता में सुधार का लक्ष्य लेकर चलती है (द कॉमनवेल्थ)।
- हालांकि ग्रीन इकोनॉमी के विपरीत, जो कि पर्यावरणीय नुकसान एवं पारिस्थितिकीय असंतुलन को रोकने में बढ़ावा देता है, ब्लू इकोनॉमी विकास प्रक्रिया में बहुमूल्य महासागरीय संसाधनों के उत्पादक इस्तेमाल का लक्ष्य लेकर चलती है। बहुत हद तक ब्लू इकोनॉमी वैकल्पिक विकास रणनीति के सद्गुणों से युक्त है।
- सतत् विकास लक्ष्य का लक्ष्य संख्या-14, 'सतत विकास के लिए महासागरों, सागरों एवं सामुद्रिक संसाधनों का संरक्षण एवं सतत् उपयोग' इसी को समर्पित है।
- विश्व बैंक ने रेखांकित किया है कि 'ब्लू इकोनॉमी' का भविष्य आर्थिक विकास के लिए महासागरीय संसाधनों के सतत् उपयोग, महासागरीय पारितंत्र, स्वास्थ्य, सुधरा आजीविका एवं रोजगार पर निर्भर करता है।
- महासागरीय आर्थिक नीति की परंपरागत अवधारणा के विपरीत 'ब्लू इकोनॉमी' शब्द विविध सामुद्रिक गतिविधियों को शामिल करता है, मसलन् सजीव और निर्जीव समुद्री संसाधनों की खोज (गहन सागर मत्स्यन, जल-कृषि का विकास, अपतटीय जीवाष्म ईंधन इत्यादि), नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन (पवन एवं ज्वारीय), सामाजिक आवश्यकताएं

जैसे -जलवायु परिवर्तन का शमन, आपदा प्रबंधन तथा तटीय एवं द्विपीय निवासियों के लिए विलवणीकरण।

- ब्लू इकोनॉमी अपने विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्थानीय तौर पर उपलब्ध संसाधनों एवं नवीकरणीय इनपुट का इस्तेमाल करता है।
- आज विश्व के विभिन्न समुद्री क्षेत्रों में अनछुआ संसाधनों की बड़ी क्षमता है जिनके इस्तेमाल से विश्व भर की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी।

ब्लू इकोनॉमी की गतिविधियां

ब्लू इकोनॉमी में निम्नलिखित गतिविधियों को शामिल किया जाता है -

1. **नवीकरणीय ऊर्जा** : सतत समुद्री ऊर्जा सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
2. **मत्स्यन** : समुद्री मत्स्य वैश्विक जीडीपी में 270 अरब डॉलर से अधिक का योगदान करता है। अधिक सतत मत्स्यन अधिक राजस्व व अधिक मछली सृजित करने के अलावा मछली के भंडार को बनाए रखने में भी मदद करती है।
3. **सामुद्रिक परिवहन** : 90 प्रतिशत से अधिक अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं का व्यापार का परिवहन समुद्री मार्गों से होता है। समुद्री मार्ग से व्यापार के वर्ष 2030 तक दोगुना तथा वर्ष 2050 तक चौगुना होने का अनुमान है।
4. **पर्यटन** : सागरीय एवं तटीय पर्यटन से रोजगार व आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है। तटीय निम्न विकसित देश तथा लघु द्विपीय विकासशील देश प्रतिवर्ष 41 मिलियन से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।
5. **जलवायु परिवर्तन** : महासागरों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जैसे कि बढ़ता समुद्री जलस्तर, तटीय कटाव, महासागरीय धाराओं के पैटर्न में बदलाव एवं अम्लीयता बढ़ता दिख रहा है। साथ ही हमें नहीं भूलना चाहिए कि महासागर एक महत्वपूर्ण कार्बन सोखता भी है जो जलवायु परिवर्तन के शमन में मदद भी करता है।

ब्लू इकोनॉमी महत्वपूर्ण क्यों है?

- भूमि पर उपलब्ध संसाधनों का अति दोहन होने से ये तेजी से कम होते जा रहे हैं।
- ऐसे में जरूरतों की पूर्ति के लिए व विकास की गति बनाए रखने के लिए विश्व के महासागरों का आर्थिक दोहन बढ़ जाएगा। परंतु यदि इनका सततता के साथ प्रबंध नहीं किया जाता है तो महासागरों के साथ व्यापारिक आर्थिक संबंध इसकी दशा को और बिगाड़ सकता है जो कि पहले ही चिंताजनक स्थिति में है।

ब्लू इकोनॉमी का आकार

- संयुक्त राष्ट्रसंघ के अनुसार विश्व के महासागरों में विभिन्न गतिविधियों का आर्थिक मूल्य 3 ट्रिलियन डॉलर से 6 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है।
- यह विश्व की अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित रूप में महत्वपूर्ण योगदान करता है -
 - 90 प्रतिशत वैश्विक व्यापार समुद्री मार्ग से गमन करता है।
 - पनडुब्बी केबल तार से 95 प्रतिशत वैश्विक दूरसंचार की जाती है।
 - मत्स्यन एवं मत्स्यपालन विश्व की 4.3 अरब आबादी की 15 प्रतिशत वार्षिक जानवर प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति करता है।
 - 30 प्रतिशत से अधिक वैश्विक तेल एवं गैस अपतटीय क्षेत्रों से निकाला जाता है।
 - विश्व अर्थव्यवस्था में तटीय पर्यटन बाजार खंड का सबसे बड़ा हिस्सा है जो कि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 5 प्रतिशत तथा वैश्विक रोजगार में 6 से 7 प्रतिशत का योगदान करता है।
 - सामुद्रिक जैव विधिता के बारे में बढ़ते ज्ञान से औषधि, खाद्य उत्पादन एवं मत्स्यपालन जैसे क्षेत्रों में नई उपलब्धियां हासिल की जा सकी है।
 - विश्व की 20 मेगा शहरों में से 13 तटीय हैं।
 - ज्वारें, तरंग, धाराएं एवं अपतटीय पवनें ऊर्जा के उदीयमान स्रोत हैं जो कई तटीय देशों में निम्न कार्बन ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं।


हिंद महासागर क्षेत्र व ब्लू इकोनॉमी

- हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर), जो कि 70 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में विस्तृत है और जो तीन महाद्वीपों की सीमा बनाता है, इसमें मत्स्य एवं समुद्री खाद्य संसाधनों, जीवाष्म एवं नवीकरण ऊर्जा तथा खनिजों की पर्याप्तता है।
- यह समुद्री पर्यटन के विकास एवं जहाजरानी गतिविधियों के द्वारा व्यापार अतुलनीय आर्थिक अवसर उपलब्ध कराता है।
- हिंद महासागर क्षेत्र सजीव एवं निर्जीव दोनों प्रकार के संसाधनों से परिपूर्ण है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों की अवस्थिति तथा 7000 से अधिक किलोमीटर की तटीय व्यापारिक रेखा, सामुद्रिक सुरक्षा एवं कूटनीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध कराता है।
- वर्ष 2032 तक भारत को 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की विजन की प्राप्ति में ब्लू इकोनॉमी का विकास महत्वपूर्ण उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकती है।

प्रश्नपत्र - 4

नागरिक चार्टर

- नागरिक चार्टर एक ऐसा दस्तावेज है जिसका उद्देश्य किसी संगठन को पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-अनुकूल बनाना है। एक नागरिक चार्टर मूलतः संगठन द्वारा उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के मानकों के संबंध में की गई वचनबद्धताओं का एक सेट है। प्रत्येक नागरिक चार्टर में, उसे सार्थक बनाने के लिए अनेक अनिवार्य घटक होते हैं: पहला संगठन की दूरदृष्टि और मिशन वक्तव्य होता है।



- इसमें वांछित आउटकम और उन लक्ष्यों और आउटकमों को प्राप्त करने के लिए सामान्य कार्यनीति का उल्लेख होता है।
- दूसरे, नागरिक चार्टर में संगठन द्वारा इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि वह विषयों से संबंधित है और उसके मुख्य-मुख्य सेवा क्षेत्र क्या है।
- इससे उपभोक्ताओं को उन सेवाओं की किस्म को समझने में मदद मिलती है जिनकी वे किसी विशेष सेवा प्रदाता से उम्मीद कर सकते हैं।
- ये प्रतिबद्धताएं/वायदे नागरिक चार्टर के केन्द्र बिन्दु होते हैं। यद्यपि ये वायदे किसी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं हैं।
- फिर भी प्रत्येक संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वायदे पूरे किए जाएं और किसी चूक के मामले में उपयुक्त क्षतिपूर्ति/उपचारात्मक पद्धति की व्यवस्था की जानी चाहिए। तीसरे, नागरिक चार्टर के संदर्भ में नागरिकों की जिम्मेदारियां भी निर्धारित की जानी चाहिए।

नागरिक चार्टर का विकास

- नागरिक चार्टर, जब 1990 के दशक के प्रारंभ में लागू किए गए थे, उस समय ये सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में उल्लेखनीय बदलाव का द्योतक थे।
- नागरिक चार्टर के अंतर्गत सार्वजनिक सेवाओं के ग्राहकों के रूप में नागरिकों पर बल दिया जाता है।
- नागरिक चार्टर स्कीम, अपने वर्तमान रूप में सर्वप्रथम सेवाओं को उन नागरिकों के प्रति प्रतिक्रियाशील बनाया जाए जिनकी वे सेवा करती है।
- 'नागरिक चार्टर पर प्रथम रिपोर्ट की प्रस्तावना' में, जिसे 1992 में प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने जारी किया था, निम्न प्रकार परिभाषा स्पष्ट की गई थी।

“नागरिक चार्टर के अंतर्गत सार्वजनिक सेवाओं को उन लोगों की दृष्टि से देखा जाता है जो इनका उपयोग करते हैं। काफी समय तक प्रदाताओं का प्रमुख था और अब उपभोक्ता की बारी है। नागरिक चार्टर से गुणवत्ता में सुधार होगा, चयनात्मकता में वृद्धि होगी, बेहतर मूल्य प्राप्त होगा तथा जवाबदेही का विस्तार होगा (कैबिनेट ऑफिस, यू.के., 1992)।”

- नागरिक चार्टर एक सार्वजनिक वक्तव्य होता है, जिसमें विशिष्ट सेवा के संबंध में नागरिकों की हकदारी, सेवा के मानकों, उपभोक्ताओं द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों और मानकों का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध उपचारों का उल्लेख होता है।
- चार्टर अवधारणा नागरिकों को सेवा के वचनबद्ध मानकों की मांग करने के लिए सशक्त बनाती है।
- इस प्रकार, नागरिक चार्टर के अंतर्गत यह सुनिश्चित करके कि ये सेवाएं आपूर्ति प्रेरित न होकर मांग प्रेरित हो, सार्वजनिक सेवाओं को नागरिक-केन्द्रिक बनाना है।
- इस संदर्भ में नागरिक चार्टर अभियान के मूल रूप में परिकल्पित छः सिद्धांत निम्न प्रकार थे -
 1. गुणवत्ता (Quality) : सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना।
 2. चयन (Choice) : उपभोक्ताओं के लिए जहां कहीं संभव हो।
 3. मानक (Standards) : यह विनिर्दिष्ट करते हुए कि एक समय सीमा के अंदर क्या उम्मीद की जानी चाहिए।
 4. मूल्य (Value) : करदाता के धन के लिए।

5. जवाबदेही (Accountability) : सेवा प्रदाता की (अलग-अलग और साथ ही संगठन की भी)
6. पारदर्शिता (Transparency) : नियमों, प्रक्रियाओं, स्कीमों और शिकायत समाधान में।

इनमें 1998 में संशोधन करके निम्न प्रकार सेवा प्रदाय के नौ सिद्धांत बना दिये गए-

1. सेवा के निर्धारित मानक (Set Standards of Service)।
2. खुला होना चाहिए और पूरी जानकारी दी जानी चाहिए (Be open And provide full information)।
3. परामर्श और भागीदारी (Consult And Involve)।
4. सुलभता को प्रोत्साहन और चयन को बढ़ावा (Encourage Access And promote choice)।
5. सभी के साथ उचित व्यवहार (Treat All fairly)।
6. गलत मार्ग पर जाने पर उन्हें सही दिशा में मोड़ना (Put things right when they go wrong)।
7. संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग (Se resources effectively)।
8. नवाचार और सुधार (Innovate And Improve)।
9. अन्य प्रदाताओं के साथ काम करना (Work with other providers)।

चार्टर मार्क स्कीम

- चार्टर मार्क स्कीम, नागरिकों के चार्टरों में कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए 1991 में युनाइटेड किंगडम में लागू की गई थी।
- इसे संगठनों को अपनी ग्राहक सेवा और उपभोक्ताओं के लिए सुपुर्दगी पर बल देने और सुधार करने में, सहायता प्रदान करने के लिए तैयार किया गया था।
- चार्टर मार्क मानक में छः मापदंड सम्मिलित थे-
 - **मापदण्ड 1:** मानकों का निर्धारण और उत्तम निष्पादन सक्रिय।
 - **मापदण्ड 2 :** अपने ग्राहकों, भागीदारों और स्टाफ को निश्चित रूप से शामिल करना।
 - **मापदण्ड 3 :** प्रत्येक के लिए निष्पक्ष और सुलभता और चयन को बढ़ावा देना।
 - **मापदण्ड 4 :** सतत रूप से विकास और सुधार।
 - **मापदण्ड 5 :** अपने संसाधनों का प्रभावी, विवेकपूर्ण उपयोग।
 - **मापदण्ड 6 :** जिन समुदायों की आप सेवा कर रहे हैं उनके लिए अवसरों और जीवन स्तर में सुधार करने के लिए योग देना।

- इस स्कीम ने 'सार्वजनिक सेवाओं को सुधारने में एक महत्वपूर्ण योगदान' किया है।
- नागरिक चार्टर के फलस्वरूप बहुत-सी सेवाएं प्रदान करने में, परंपरा और प्रतिक्रियाशीलता में सुधार हुआ है। दूसरी ओर, नागरिक चार्टर के बारे में कुछ आलोचना भी हुई है।
- अनेक आकलनों से पता चला कि चार्टर में किए गए वायदे अस्पष्ट और अर्थहीन थे।
- लोक प्रशासन संबंधी प्रवर समिति (यूके) ने 'चयन, भागीदारी और सार्वजनिक सेवा' पर अपनी 11वीं रिपोर्ट में नोट किया कि नागरिक चार्टर से लोगों का सम्मान समाप्त हो गया है क्योंकि यह अपने उद्देश्यों में अत्यंत भ्रमित है।
- चार्टर मार्क स्कीम की 2006 में व्यापक रूप से समीक्षा की गई, 'सार्वजनिक सेवाएं बदलने में ग्राहक भागीदारी' (बर्नार्ड हेर्डन रिपोर्ट)।
 - आश्वासित आउटकम प्रदान करना और समस्याओं की सुचारू हैंडलिंग।
 - सेवा प्रदान करने में समय की पाबंदी।
 - प्रदत्त सही ओर विस्तृत जानकारी तथा प्रगति रिपोर्ट।
 - व्यावसायिकता तथा स्टाफ की दक्षता और ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार
 - स्टाफ अभिवृत्तियां- अनुकूल, विनम्र और ग्राहकों की जरूरतों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण।
- बर्नार्ड हेर्डन रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसरण में चार्टर्ड मार्क स्कीम में संशोधन किया गया तथा 'ग्राहक सेवा उत्कृष्टता' स्कीम 2008 में शुरू की गई।
- चार्टर्ड मार्क स्कीम की तरह, नई स्कीम के अंतर्गत भी सार्वजनिक सेवा संगठनों को, निम्नलिखित पांच मापदंडों के आधार पर एक स्वतंत्र औपचारिक आकलन प्रक्रिया के माध्यम से 'ग्राहक सेवा उत्कृष्टता' प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है-
 1. ग्राहक अंतर्दृष्टि।
 2. संगठन की परंपरा।
 3. सूचना ओर सुलभता।
 4. प्रदाय।
 5. समय की पाबंदी और सेवा की गुणवत्ता।

नागरिक चार्टर के संबंध में भारत का अनुभव

- भारत सरकार ने 'प्रतिक्रियाशील प्रशासन के संबंध में एक राष्ट्रीय संवाद' 1996 में शुरू किया। एक महत्वपूर्ण सुझाव, जो उभरकर सामने आया वह सभी सार्वजनिक सेवा संगठनों के लिए 'नागरिक चार्टर' तैयार किए जाने के संबंध में था।
- इस सुझाव को मई, 1997 में आयोजित मुख्यमंत्रियों के

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

प्रारम्भिक परीक्षा विशेष

ओलिव रिडले कछुए

- 54 ओलिव रिडले कछुए आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट के निकट स्थिति होप आइलैंड के तट पर मृत पाए गए। इस कारण से उनका प्रजनन काल गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है।
- कछुए की यह प्रजाति समुद्री कछुए की सभी प्रजातियों में सबसे छोटी होती है। ये सर्वाहारी होते हैं एवं प्रचुरता में पाए जाते हैं।
- इनके कवच के ओलिव ग्रीन रंग के होने के कारण इनका यह नाम पड़ा है।
- ये समकालिक सामूहिक बसरे के लिए विख्यात हैं।
- भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य में स्थित गहिरमाथा के अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षों से आंध्र प्रदेश के कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य के होप आइलैंड के रेतीले विस्तार भी इन कछुओं की प्रजनन भूमि के तौर पर उभरे हैं।
- इन्हें IUCN की रेड लिस्ट में वल्नेरेबल (VU) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। साथ ही वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची। प्रजाति के रूप में ये सूचीबद्ध है।

हक्की हब्बा

- ये एक बर्ड फेस्टिवल है जिसे कर्नाटक के बेल्लारी जिले में विश्व प्रसिद्ध हम्पी के निकट स्थिति 'दारोजी स्लॉथ बीयर अभयारण्य' में आयोजित किया गया।
- इसका आयोजन संयुक्त रूप से राज्य के वन विभाग एवं पारिस्थितिकी पर्यटन बोर्ड के साथ स्थानीय बर्ड वाचर्स एसोसिएशन के द्वारा किया गया।
- इस समारोह का उद्देश्य पक्षियों के संरक्षण के विषय में आम लोगों को जागरूक करना है।

हिरण के सींग

- हाल ही में केरल राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन कर आयुर्वेदिक दवाओं के उत्पादन में चीतल (Spotted Deer) एवं सांबर हिरणों के सींग का उपयोग करने स्वीकृति मांगी है।
- उल्लेखनीय है कि केरल में मिलने वाली हिरण की सभी तीन प्रजातियाँ प्रतिवर्ष अपने सींग निकाल देती हैं जो कि पुनः विकसित हो जाते हैं।

- भारत में उपरोक्त कानून के प्रावधानों के अनुसार इन सींगों की बिक्री एवं उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। फलस्वरूप राज्य सरकारों एवं वन्यजीवन प्राधिकरणों के पास काफी मात्रा में ये सींग जमा हो गए हैं।
- केन्द्र सरकार की आशंका है कि इस प्रस्ताव के स्वीकृति से हिरणों के अवैध शिकार में अनियंत्रित वृद्धि हो सकती है।
- 1972 के अधिनियम में सींग को 'वन्यजीव ट्रॉफी' की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है।
- ट्रॉफी जीव जंतु या उनका सर, त्वचा, दाँत, सींग या शरीर का कोई भी हिस्सा हो सकता है जिससे कोई शिकारी स्मृति चिह्न के रूप में अपने पास रखता है।
- ये वन्यजीव ट्रॉफियाँ सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत आती हैं।

जिंजीबर स्यूटोस्वेरसम

- ये अदरक की एक नई प्रजाति है जिसे भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (BSI) के वैज्ञानिकों ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में खोजा है।
- इसमें विद्यमान औषधीय गुणों के कारण अंडमान के स्थानीय विशेष रूप से अतिसंवेदनशील जनजातीय समूह (Vulnerable Tribal Groups- PVTGs) द्वारा इनका उपयोग किया जाता है।
- अदरक की अन्य प्रजातियों की तरह यह भी खाने योग्य है।
- इस प्रजाति का आभासी तना (Pseudo Stem) लाल रंग का होता है।
- इसमें कंदिल (Tuberous Root) जड़ें पाई जाती हैं एवं इनकी जड़ों के रस का प्रयोग उदर संबंधी विकारों के उपचार हेतु किया जाता है।

केरल का चिकित्सकीय पौधा

- जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने 'न्यूरोकेलिक्स कैलीसीनस' के कई चिकित्सकीय गुणों की पुष्टि की है।
- इस पौधे का उपयोग स्थानीय 'चोलनाइक्कन' जनजाति द्वारा सूजन, जलन तथा घावों के इलाज में किया जाता है।
- यह पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका का स्थानिक पौधा है।
- इसकी पत्तियों में जलन-रोधी गुण पाया जाता है जो कि डाईक्लोफिनैक सोडियम के जैसा होता है।

- इस पौधे में विटामिन 'E' की उच्च मात्रा एवं इसकी कोशिकीय संरचना में साइटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी (Cytoprotective Activity) भी पाई जाती है।
- इन तत्वों का पाया जाना कैंसर-रोधी दवा के रूप में इस पौधे के प्रयोग की संभावनाओं को बढ़ा देती है।
- इस पौधे का स्थानीय नाम 'पचा चेदी (Pacha Chedi)' हैं।

इरावदी डॉल्फिन

- ओडिशा राज्य के वन विभाग की 2017 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य में स्थित भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान एवं गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य के जल निकायों में 55 इरावदी डॉल्फिन मौजूद हैं।
- उल्लेखनीय है कि हाल के कुछ वर्षों में चिल्का झील इन जलीय जीवों के प्राथमिक आवास के रूप में उभरी है, इस वर्ष इनकी यहाँ पर संख्या 121 थी जो कि रिकॉर्ड है।
- एक अनुमान के हिसाब से इस जीव की संपूर्ण विश्व में जनसंख्या 7,500 से भी कम है, जिसमें से लगभग 6,000 बांग्लादेश में हैं।
- इन्हें स्नबफिन (Snubfin) डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है।
- इरावदी डॉल्फिन की कुछ उपप्रजातियों को IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त (EN) एवं गंभीर रूप से संकटग्रस्त (CR) के तौर पर सूचीबद्ध किया गया है। परन्तु भारतीय उपमहाद्वीप के आस पास मिलने वाली उपप्रजाति को वल्नेरेबल (VU) की श्रेणी में रखा गया है।
- ये भारत में, बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम से लेकर इंडोनेशिया के दक्षिणी भाग तक संपूर्ण दक्षिण एशिया में नदियों, झीलों और समुद्रों में पाई जाती है।
- इनके ऊपर संभावित खतरों में फिशरीज गियर जैसे कि गिलनेट्स आदि में फंसकर आकस्मिक मृत्यु, निर्वनीकरण, बाँधों के निर्माण, तटीय क्षेत्रों में खनन के कारण आवास क्षति, कृषि रसायनों से प्रदूषण, मनोरंजन हेतु उन्हें जीवित पकड़ना आदि शामिल हैं।

फूड लैग्यूम्स रिसर्च प्लैटफॉर्म

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 'इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च' (ICAR) एवं 'इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन द ड्राई एरियाज' (ICARDA) के सहयोग द्वारा मध्य प्रदेश के अमलाहा में फूड लैग्यूम्स रिसर्च प्लैटफॉर्म की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की है।
- कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कृषि अनुसंधान विभाग, FLRP

की स्थापना एवं अनुबंध में सभी तकनीकी संशोधन हेतु ICAR और ICARDA के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करेगा।

- उल्लेखनीय है कि यह प्लैटफॉर्म 'रिसर्च फॉर डेवलपमेंट (R4D)' फ्रेमवर्क तथा किसानों पर इसके प्रभाव के तहत कार्य करेगा।
- इसके अंतर्गत रेंजलैंड (Range Land) और चारागाह उत्पादकता में सुधार के लिए अनुसंधान किया जाएगा।
- यह प्लैटफॉर्म शुष्क क्षेत्रों में फसल-पशुधन प्रणाली, वैकल्पिक पशु-चारा संसाधनों एवं जल उत्पादकता पर कार्य करेगा।

जिलैंडिया : एक नया महाद्वीप

- जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका द्वारा किए गए अध्ययन में यह पाया गया है कि न्यू कैलेडोनिया एवं न्यूजीलैंड, महाद्वीपीय पपड़ी के 4.9 मिलियन वर्गकिमी एकल खंड का हिस्सा हैं जो ऑस्ट्रेलिया से पृथक हैं।
- इस क्षेत्र का 94% हिस्सा जलमग्न है, जो लगभग 80 मिलियन वर्ष पूर्व गोंडवानालैंड नामक विशाल महाद्वीप के टूटने से पहले पपड़ी के पतले हो जाने के परिणामस्वरूप हुआ था।
- इस अध्ययन में अपग्रेडेड सैटेलाइट बेस्ट एलिवेशन तथा ग्रेविटी मैप टेक्नोलॉजी जैसे आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है।
- जिलैंडिया, विवर्तनिक रूप से अत्यंत सक्रिय क्षेत्र है। ध्यातव्य है कि इसका एक हिस्सा प्रशांत प्लेट पर है जबकि दूसरा हिस्सा ऑस्ट्रेलियाई प्लेट पर स्थित है।
- न्यू कैलेडोनिया जो कि फ्रांस द्वारा शासित द्वीपों का एक समूह है, जिलैंडिया के उत्तरी छोर का निर्माण करता है।
- इसका जलमग्न भाग खनिज निक्षेपों के मामले में अत्यंत समृद्ध है।

विश्व की पहली ट्रांजिट रेटिंग प्रणाली

- दिल्ली मेट्रो (DMRC) ने 'ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इंक' (GBCI) तथा US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (USGBC) के साथ मिलकर ट्रांजिट रेटिंग प्रणाली हेतु विश्व की पहली लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंट डिजाइन (LEED) की घोषणा की है।
- यह (LEED) एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण है जिसका संचालन USGBC द्वारा किया जाता है।
- ये ग्रीन बिल्डिंग के व्यावहारिक समाधानों की पहचान करता है तथा कार्यान्वयन हेतु ऑपरेटरों एवं बिल्डिंग मालिकों को एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है।